नि. सहा. / स्वा.आयुक्त / 4100
दिनांक 01/12/2020

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल
--:: आदेश ::--

भोपाल, दिनांक 23 / 11 / 2020

4720/9
8/12

क्रमांक 1343/2632/2020/सत्रह/मेडि-1 :: डॉ.पी.एल.पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेघनगर जिला झाबुआ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.27071/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 के परिप्रेक्ष्य में डॉ.पटेल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 30.11.2017 एवं 27.09.2019 को मान्य करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ.पटेल, चिकित्सा अधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेघनगर जिला झाबुआ में कार्य पर उपस्थिति कराने की अनुमति प्रदान करता है।

पत्र क्रमांक 3013 अ.शा./नियं./स्थापना
दिनांक 01/12/2020

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

AD (Legal)
AD (G-22)

पृ. क्रमांक/1344/2632/2020/सत्रह/मेडि-1 भोपाल, दिनांक 23/11/2020

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी ,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र।
3. रजिस्ट्रार, म.प्र.उच्च न्यायालय, इन्दौर मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ म.प्र.।
7. संबंधित अधिकारी डॉ.पी.एल.पटेल. चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेघनगर जिला झाबुआ की ओर लेख है कि आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण कर अवगत करायें।
8. स्टाफ फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

DD(G)
1/12/20
2/12/20